# MAA OMWATI DEGREE COLLEGE

Hassanpur (Palwal)

Subject - Corporate Accounting

Class - B.COM 3rd Sem.

Session - 2021-22

# UNIT → I

Chapter → 1

## Issue of Shares
## अंशों का निर्गमन

**Introduction** :→ व्यावसायिक संगठन के एकाकी स्वामित्व एवं साझेदारी प्रारूप एक बड़े व्यवसाय की बढ़ती हुयी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाये क्योंकि इनकी अपनी सीमाएँ हैं जैसे कि सीमित पूँजी, सीमित प्रबन्धकीय योग्यता, असीमित दायित्व एवं अन्य कमियां। अतः व्यावसायिक संगठन के एकाकी स्वामित्व एवं साझेदारी प्रारूपों की कमियों को दूर करने के लिए व्यावसायिक संगठन का कंपनी प्रारूप अस्तित्व में आया। एक कंपनी कुछ व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है जिसका निर्माण कानूनी प्रक्रिया के द्वारा होता है और इसका उद्देश्य कोई व्यवसाय करना होता है।

**परिभाषा** :→ कंपनी बहुत से व्यक्तियों की एक संख्या है, जो कि द्रव्य या द्रव्य के बराबर का अंशदान एक संयुक्त कोष में जमा करते हैं और इसका प्रयोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए करते हैं।

## * कंपनी की विशेषताएँ :-

① **पृथक वैधानिक अस्तित्व** :→ कंपनी एक कानूनी व्यक्ति है और इसका अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक होता है। कंपनी अपने नाम से सम्पत्तियों का क्रय-विक्रय कर सकती है, अपने नाम से बैंक खाता खोल सकती है और अपने नाम में अनुबंध कर सकती है।

(2) **स्थायी जीवन :→** कम्पनी के जीवन काल पर इसके सदस्यों के अवकाश ग्रहण, मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंशधारी आते रहते हैं OR जाते रहते हैं परंतु कंपनी हमेशा के लिए चलती रहती है जब तक कि कंपनी अधिनियम के अनुसार इसका समापन न कर दिया जाए।

(3) **सीमित दायित्व:** कंपनी के अंशधारी का दायित्व उनके अंशों के अदत्त मूल्य (Unpaid Value) तक ही सीमित रहता है।

(4) **COMMON Seal (सार्वमुद्रा):→** क्योंकि कंपनी का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है अतः यह अपने एजेन्टों के माध्यम से कार्य करती है जिन्हें संचालक कहते हैं। संचालकों द्वारा तैयार किए गए सभी प्रलेखों पर कंपनी की सार्वमुद्रा अंकित होनी चाहिए।

(5) **अंशों की हस्तान्तरणीयता:→** कंपनी की पूँजी हिस्सों में विभाजित होती है, और प्रत्येक हिस्से को अंश कहते हैं। यह अंश कुछ शर्तों के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से हस्तान्तरणीय होते हैं।

(6) **प्रबन्ध का स्वामित्व से अलग होना :→** अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं परंतु इनकी संख्या प्रायः बहुत अधिक होने के कारण न तो यह सम्भव ही है और न ही उचित कि सभी अंशधारी कंपनी के प्रतिदिन के प्रबन्ध में भाग ले सकें।

## * Kinds of Company [कंपनी के प्रकार]

Joint Stock Company [संयुक्त पूँजी कंपनी]

- असीमित कंपनी [Unlimited Company]
- गारंटी द्वारा सीमित कंपनी [Company Limited by Guarantee]
- अंशों द्वारा सीमित कंपनी [Company Limited by Shares]
  - निजी कंपनी [Private Company]
  - सार्वजनिक कंपनी [Public Company]

**Unlimited Company:→ [असीमित कम्पनी]:-**

यह एक ऐसी कंपनी है जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि कंपनी को हानि हो जाती है और कंपनी की सम्पत्तियाँ उसके ऋणों को चुकाने के लिए अपर्याप्त हैं तो लेनदारों के दावों को चुकाने के लिए सदस्यों की निजी संपत्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है।

**गारंटी द्वारा सीमित कम्पनी :→** ऐसी कंपनी में कंपनी के समापन की दशा में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गयी गारंटी की राशि तक सीमित होता है। सदस्यों का दायित्व केवल कंपनी के समापन की दशा में ही उत्पन्न होता है।

* अंशों द्वारा सीमित कंपनी :-> ऐसी कंपनी में सदस्यों का दायित्व उनके पास जो अंश है उन अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है यदि किसी सदस्य ने अपने अंशों की पूर्ण राशि चुका दी है तो उनसे और कोई राशि नहीं मंगाई जा सकती है

* निजी कंपनी :-> यह वो कंपनी होती है जिसकी न्यूनतम अंश पूँजी 100000 रु अथवा अधिनियम द्वारा निर्धारित इससे अधिक राशि हो तथा यह अपने पार्षद अन्तर्नियम द्वारा अंशों के हस्तान्तरण पर प्रतिबंध लगाती हो।

* सार्वजनिक कंपनी :-> यह वो कंपनी होती है जो निजी कंपनी नहीं है तथा जिसकी न्यूनतम अंश पूँजी 500000 रु अथवा अधिनियम द्वारा निर्धारित इससे अधिक राशि हो।

* अंश का अर्थ :-> [Meaning of Shares]

प्रत्येक कंपनी की पूँजी छोटे-2 हिस्सों में विभक्त होती है। उसके प्रत्येक हिस्से को अंश कहते है उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी की पूंजी 1000000 रु. है और ये दस-2 रु के 100000 हिस्सों में विभक्त है तो प्रत्येक दस-2 रुपए का हिस्सा अंश कहलाएगा और इस प्रकार इस कंपनी के अंशों की संख्या 100000 होगी।

अंशों पर नम्बर डले होने चाहिए जिससे कि इनकी पहचान हो सके।

* अंशों के प्रकार

1. पूर्वाधिकार अंश
2. समता अंश

1. पूर्वाधिकार अंश :-> ये वो होते है जिन्हे निम्नलिखित दो अधिकार प्राप्त हों :->

(i) इन्हे एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा ये लाभांश समता अंशधारियों से पहले मिलता है

(ii) कंपनी की समाप्ति पर इनको समता अंशधारियों की अपेक्षा पहले पूँजी वापस पाने का अधिकार होता है

* पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार :->

1. संचयी पूर्वाधिकार अंश :-> संचयी पूर्वाधिकार ऐसे अंश होते है जिनके धारकों को समता अंशों पर कोई भी लाभांश दिये जाने से पूर्व अपना समस्त बकाया लाभांश पाने का अधिकार होता है

2. गैर-संचयी पूर्वाधिकार अंश :-> इन अंशों के धारकों को प्रति वर्ष के लाभ में से एक निश्चित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है

3. भाग्ययुक्त पूर्वाधिकार अंश :-> इन अंशों को स्थिर लाभांश के साथ-2 समता अंशधारियों को एक पूर्व निश्चित दर से लाभांश देने के पश्चात बचे हुए Surplus Profit में से भाग लेने का अधिकार होता है

(4) अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश :-> इन अंशों को केवल एक स्थिर दर से लाभांश पाने का ही अधिकार होता है अर्थात इन्हें आधिक्य लाभों में भाग लेने अथवा समापन की दशा में आधिक्य में भाग लेने का अधिकार नहीं होता।

(5) शोधनीय पूर्वाधिकार अंश :-> ये ऐसे अंश होते हैं जिनकी राशि कंपनी द्वारा निर्गमन की शर्तों के अंतर्गत एवं कंपनी अधिनियम की धारा 80 में वर्णित शर्तों के पूरा होने पर वापस कर दी जायेगी।

(6) अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश :-> इन अंशों की राशि कंपनी के समापन से पूर्व वापस नहीं की जा सकती है। धारा 80 (5OA) के अनुसार कोई भी अंशों के द्वारा सीमित कंपनी ऐसे पूर्वाधिकार अंश निर्गमित नहीं कर सकती हैं जो अशोधनीय हों अथवा इनके निर्गमन की तिथि के 20 वर्षों के पश्चात शोधनीय हो।

(7) परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश :-> इन अंशों के धारकों को यह अधिकार होता है कि वे अपनी इच्छानुसार अपने पूर्वाधिकार अंशों को, निर्गमन की शर्तों के अन्तर्गत, समता अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं।

(8) अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश :-> जब पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तित कराने का अधिकार नहीं दिया गया है तो ऐसे अंशों को अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं।

2. समता अंश :-> समता अंश उन अंशों को कहते हैं जिन पर लाभांश का भुगतान तभी किया जाता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों को एक निर्धारित दर से लाभांश देने के बाद भी लाभ बच जाएँ।

* Share Capital :->

अंश पूंजी से आशय कंपनी द्वारा अंश निर्गमन से प्राप्त पूंजी से है। बहुत से व्यक्ति एवं संस्थाएँ कंपनी की पूंजी में अलग-2 राशि का योगदान देती हैं परंतु इनमें से प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्था के लिए अलग पूंजी खाता नहीं बनाया जाता है। केवल संयुक्त पूंजी खाता ही बनाया जाता है जिसे अंश पूंजी खाता है।

* अंश पूंजी के प्रकार

(1) अधिकृत, पंजीकृत या अंकित पूंजी :- अधिकृत पूंजी से आशय उस पूंजी से है जो पार्षद सीमानियम में लिखी होती है। ये कंपनी की अधिकतम पूंजी है जिससे अधिक के शेयर कभी भी कंपनी अपने जीवनकाल में निर्गमित नहीं कर सकती।

(2) निर्गमित पूंजी :-> अधिकृत पूंजी का वह भाग जो वास्तव में जनता को जारी किया जाता है, निर्गमित पूंजी कहलाता है और भाग जारी नहीं किया जाता उसे अनिर्गमित पूंजी कहते हैं जिसे बाद में निर्गमित किया जा सकता है।

(3) **प्रार्थित पूँजी :->** यह पूँजी, निर्गमित पूँजी का वह भाग है जिसके लिए वास्तव में जनता से प्रार्थना पत्र प्राप्त हों।

(4) **याचित या माँगी हुयी पूँजी :->** प्रायः संचालकों द्वारा अंश के अंकित मूल्य को धीरे-2 किश्तों में ही अंशधारियों से मगाँया जाता है।

(5) **चुकता पूँजी :->** माँगी गयी पूँजी का वह भाग जो वास्तव में प्राप्त हो जाए, चुकता पूँजी कहलाता है प्रायः माँगी गयी पूँजी और चुकता पूँजी की राशि बराबर ही होती है. सिवा इसके कि कुछ अंशधारी माँगी गयी राशि न चुकाएँ।

(6) **आरक्षित या संचित पूँजी :->** कंपनी अधिनियम की धारा 99 के अनुसार, कंपनी विशेष प्रस्ताव पास करके यह निर्धारित कर सकती है कि न माँगी गयी पूँजी के किसी निश्चित भाग को, समापन को छोड़कर अन्य किसी दशा में, मगाँया ही नहीं जायगा।

* **Capital Reserve :- पूँजीगत संचय**

पूँजीगत संचय वह संचय होते हैं जो पूँजीगत लाभों में से बनाए जाते हैं। पूँजीगत लाभ ऐसे लाभों को कहते हैं जो कंपनी द्वारा अपनी सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं से अर्जित नहीं किए जाते।

* **अंशों का निर्गमन (Issue of Shares)**

1. नकदी में :- अंशों के निजी विक्रय द्वारा
2. नकदी में -> अंशों का सार्वजनिक निर्गमन
3. नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले।

* **अंशों का निजी विक्रय द्वारा :->**

कभी-2 एक सार्वजनिक कंपनी के प्रवर्तक को अपने निजी साधनों एवं संपर्कों द्वारा पूँजी एकत्रित करने का विश्वास होता है ऐसी दशा में कंपनी जनता को अपने अंश खरीदने के लिए निमन्त्रण नहीं देती है बल्कि अपने अंशों को निजी रूप से प्रवर्तकों, उनके मित्रों, सम्बन्धियों, उसी समूह की अन्य कंपनी के अंशधारियों के, सामूहिक कोषों, अप्रवासीय भारतीयों, वित्तीय संस्थाओं जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम आदि को विक्रय करते हैं।

* **स्वीट समता अंश (Sweet Equity Shares)**

इन अंशों से आशय यह है कि जो कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों और संचालकों को कटौती पर अथवा नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले, ज्ञान प्रदान करने अथवा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उपलब्ध कराने के बदले निर्गमित किए जाते हैं।

## * अंशों का सार्वजनिक निर्गमन (Public Subscription of Shares)

के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है:-

1. प्रविवरण जारी करना
2. आवेदन पत्र प्राप्त करना
3. अंशों का आंबटन करना
4. याचनाएँ करना

(1) **प्रविवरण जारी करना:-** जनता को अंश खरीदने के लिए किए गए निमंत्रण को प्रविवरण कहते हैं। जनता को आवेदन देने के लिए आकृष्ट करने के उद्देश्य से प्रविवरण में कंपनी के व्यवसाय की लाभप्रदता तथा सुदृढ़ता का वर्णन होता है।

(2) **आवेदन पत्र प्राप्त करना:-** प्रविवरण को पढ़ने के पश्चात जनता एक निर्धारित फार्म पर आवेदन-पत्र की राशि के साथ भेजना शुरू कर देती है। प्रति अंश आवेदन की राशि प्रविवरण में लिखी होती है।

(3) **अंशों का आंबटन करना:->** आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि के बाद बैंक सभी आवेदन-पत्रों को कंपनी के पास भेज देता है।

(4) **याचनाएँ करना (To Make Calls):->** आवेदन तथा आंबटन पर पुकारी गयी राशि को याचना नहीं कहा जाता है परंतु उसके बाद माँगी किश्तों को याचना कहा जाता है।

## * Entries on Issue of Shares:- [अंशों के निर्गमन की प्रविष्टियाँ]

(1) कंपनी अधिनियम के अनुसार

**आवेदन पत्र प्राप्त करने पर लेखा:**

- Bank A/C Dr
  To Share Application A/C
  [Application Money Received]
- Share Application A/C Dr
  To Share Capital A/C
  [Application Money on allotted shares transferred to Share Capital A/C]

(2) • जिन आवेदकों को अंश नहीं दिए जाते हैं उनका रुपया वापस कर दिया जाता है:-

Share Application A/C Dr.
To Bank A/C
[Application Money returned on Un-allotted shares]

## * Entries on Allotment: [आंबटन पर लेखा]

(3) • Share Allotment A/C Dr
To Share Capital A/C
[Amount due on Allotment]

(4) आंबटन की राशि प्राप्त होने पर

Bank A/C Dr
To Share Allotment A/C

• प्रथम याचना पर लेखा ( Entries on First call)

[प्रथम सूचना भेजी जाती है]

(5) Share First Call A/c Dr
To Share Capital A/c
[ First Call due]

(6) प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर:
Bank A/c Dr
To Share First Call A/c
[ First Call Money Received]

• द्वितीय याचना पर लेखा:

[ द्वितीय सूचना भेजी जाती है]

(7) Share Second Call A/c Dr
To Share Capital A/c
[ Second Call due]

(8) द्वितीय याचना की राशि प्राप्त होने पर:-
Bank A/c Dr
To Share ~~Capital~~ Second Call A/c
[ Second Call Money Received]

(9) प्रवर्तकों को अंशों का निर्गमन
Incorporation Costs A/c Dr
To Share Capital A/c
[ Share issued to Promoters]

(10) संपत्तियों के क्रय के बदले अंशों का निर्गमन

(1) Vendor से संपत्ति क्रय करने पर:-
Sundry Asset A/c Dr
To Vendor's A/c

(2) विक्रेता (Vendor) को संपत्ति के बदले अंश निर्गमन करने पर:-
Vendor's A/c Dr
To Share Capital A/c

* सममूल्य पर अंशों का निर्गमन

प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य होता है जैसे कि 10रु, 100रु आदि। यदि अंशों का निर्गमन उनके अंकित मूल्य पर ही किया जाए तो इसे सममूल्य अंशों का निर्गमन कहते है।

* अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन

जब कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी करती है तो अंकित मूल्य से जो राशि अधिक ली जाती है उसे प्रीमियम कहते है।

प्रीमियम की राशि की लेखा प्रविष्टियां:-

(1) Bank A/c Dr
To Share Application A/c
[ Application Money Received including Premium]

(2) Share Application A/C Dr
To Share Capital A/C
To Securities Premium A/C
[Application Money transferred to Share Capital A/C and Securities Premium A/C]

• यदि प्रीमियम की राशि आंवटन के साथ प्राप्त होती है तो उस समय निम्न लेखा किया जाता है:-

(1) Share Allotment A/C Dr
To Share Capital A/C
To Securities Premium A/C
[Allotment Money due, including Premium]

(2) आवंटन की राशि प्राप्त होने पर:-

Bank A/C Dr
To Share Allotment A/C
[Allotment Money Received, including Premium]

## * कटौती या बट्टे पर अंशों का निर्गमन

अंशों को उनके अंकित मूल्य से भी कम पर निर्गमित करना कटौती पर अंशों का निर्गमन कहलाता है। साधारणतय अंशों का निर्गमन कटौती पर नहीं किया जा सकता है।
परंतु कंपनी अधिनियम की धारा 79 के अनुसार निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर ही कंपनी अपने अंशों का निर्गमन कटौती पर कर सकती है।

(1) कंपनी को निर्गमन की तिथि पर व्यापार प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त हुए कम से कम एक वर्ष हो चुका हो।

(2) केवल उसी प्रकार के अंश कटौती पर निर्गमित किए जा सकते हैं जिनका निर्गमन पहले भी हो चुका हो।

(3) कटौती पर अंश जारी करने के लिए कंपनी की साधारण सभा में एक साधारण प्रस्ताव पास कर दिया गया हो और कंपनी को ट्रिब्यूनल की स्वीकृति भी मिल गयी हो।

(4) कंपनी को ट्रिब्यूनल से स्वीकृति मिलने के दो माह अथवा ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृति बढ़ी हुयी अवधि के अंदर ही अंशों का निर्गमन कर देना चाहिए।

• Share Allotment A/C Dr
To Share Discount A/C Dr
To Share Capital A/C
[Amt. due on allotment, excluding discount].

• Profit & Loss A/C Dr
To Share Discount A/C
[Writing off Amount of discount].

## * अदत्त याचनाएँ और उन पर ब्याज

Calls in Arrears A/C Dr.
To Share Call A/C

* पूर्वदत्त या अग्रिम याचना और उस पर देय ब्याज

- अग्रिम याचना की राशि प्राप्त होने पर:-

Bank A/C Dr
To Calls in Advance A/C
[Call Received in Advance]

- Bank A/C Dr
Calls in Advance A/C Dr
To Share Call A/C
[Calls in Advance Adjusted]

- अग्रिम याचनाओं पर ब्याज के भुगतान की निम्न प्रविष्टि की जाती है:-

Interest on Calls in Advance A/C Dr
To Bank A/C
[Intt. paid on Calls in Advance]

* संयुक्त आवेदन और आवंटन खाता खोलना:-

वर्तमान में इस बात का प्रचलन बढ़ता जा रहा है कि आवेदन और आवंटन के दो अलग-2 खाते खोलने की बजाय इन दोनों के लिए संयुक्त रूप से एक Application and Allotment A/C खोल दिया जाता। संयुक्त खाता खोलने के लिए निम्न प्रविष्टियाँ की जाती हैं:→

① On Receipt of Application Money:-

Bank A/C Dr
To Share Application and Allotment A/C
[No. of shares applied X Application Money per share]

② On transfer of Application Money and Allotment due:-

- Share Application and Allotment A/C Dr
To Share Capital A/C
[No. of shares Allotted X Application Money per share + Allotment amount per share]

③ On Refund of Money on Rejected applications:-

- Share Application and Allotment A/C Dr
To Bank A/C
[No. of shares Rejected X Application Money per share]

④ On Receipt of balance of Allotment Money:-

Bank A/C Dr
To Share Application and Allotment A/C

* अंशों का अपहरण [Forfeiture of shares]

यदि कोई अंशधारी आवंटन या किसी याचना की राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी को ऐसे अंशधारी के अंशों को जब्त करने का अधिकार होता है। अंशों को जब्त करने से पूर्व कंपनी उस अंशधारी को एक नोटिस भेजती है कि वह अपने अंशों पर बकाया राशि एक निश्चित समय के अंदर ब्याज सहित भुगतान कर दे।

## अंशों के अपहरण की प्रविष्टियाँ

(1) सम-मूल्य पर निर्गमित अंशों का अपहरण:-

Share Capital A/C Dr
To Share Allotment A/C
To Share Call A/C
To Share forfeiture A/C

[forfeiture of shares issued at par]

(2) प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का अपहरण:-

Securities Pre. A/C Dr
Share Capital A/C Dr
To Share Call A/C
To Share Allotment A/C
To Share forfeiture A/C

[forfeiture of shares issued at Premium]

(3) कटौती पर निर्गमित अंशों का अपहरण

Share Capital A/C Dr
To Share Discount A/C
To Share Allotment A/C
To Share Call A/C
To Share forfeiture A/C

[forfeiture of shares issued at Discount]

## * Re-issue of forfeited shares:-

हरण किए हुए अंशों को संचालक पुनः निर्गमित कर सकते हैं इन अंशों का पुनः निर्गमन सम-मूल्य पर, प्रीमियम पर या कटौती पर कर सकते हैं परंतु पुनः निर्गमन पर कटौती की राशि उस राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो पहले अंशधारी से प्राप्त हुयी हो

अपहरण किए हुए अंशों के पुनः निर्गमन पर निम्न प्रविष्टियाँ की जाती हैं:-

1. सम-मूल्य पर:-
Bank A/C Dr
To Share Capital A/C

2. प्रीमियम पर:-
Bank A/C Dr
To Share Capital A/C
To Securities Premium A/C

3. कटौती पर:-
Bank A/C Dr
Share forfeiture A/C
To Share Capital A/C

- Share forfeiture A/C Dr
To Capital Reserve A/C
[Transfer of Shares forfeiture A/C to Capital Reserve A/C]

## * Issue of Right Shares [अधिकार वाले अंशों का निर्गमन]

एक ऐसी कंपनी जिसने पहले अंश निर्गमित किए हुए है, जब अपनी अंश पूँजी में वृद्धि करने के लिए नए अंश निर्गमित करना चाहती है, तो जब तक कि वह प्रस्ताव पास नहीं करती है, इसका कानूनी दायित्व है कि नए अंश अपने वर्तमान अंशधारियों को ही निर्गमित करें। इन नए अंशों को अधिकार वाले अंश कहते हैं क्योंकि पुराने अंशधारियों को इन अंशों को क्रय करने का प्रथम अधिकार है।

### * अधिकार अंशों के निर्गमन के लाभ:-

1. सार्वजनिक निर्गमन की तुलना में अधिकार अंश निर्गमन की दशा में पूँजी प्राप्त करना अधिक निश्चित होता है।
2. अधिकार अंश निर्गमन से कंपनी की छवि में सुधार होता है क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है कि प्रबन्धक कंपनी की समृद्धता को इसके अंशधारियों में बाँटना चाहता है।
3. अधिकार अंश निर्गमन से संचालक नए अंशों को अपने मित्रों एवं सम्बन्धियों में कम मूल्य में निर्गमन नहीं कर पाते।
4. इससे वर्तमान अंशधारियों को ऐसी कंपनी में विनियोग करने का अवसर प्राप्त होता है जिससे वह भली-भाँति परिचित होते हैं।

## Chp. → 2 Redemption of Preference Shares:-

### [पूर्वाधिकार अंशों का शोधन]

पूर्वाधिकार अंशों के शोधन का अर्थ है इन्हें पूँजी लौटाना। 1 मार्च 1997 के पश्चात कोई भी कंपनी अशोध्य पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त कोई भी कंपनी ऐसे पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। धारा 80 में शोधन के विषय में निम्नलिखित नियम वर्णित हैं:-

1. **पूर्णदत्त** :→ केवल पूर्णदत्त पूर्वाधिकार अंशों का ही शोधन किया जाता है आंशिक दत्त का नहीं।
2. **लाभों से अथवा नए निर्गमन से** :→ इन अंशों का शोधन या तो लाभों में से लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों से किया जा सकता है या (II) इनके भुगतान के लिए निर्गमित किए गए नये अंशों से प्राप्त धनराशि में से किया जा सकता है।
3. **पूंजी शोधन संचय खाता** :→ यदि कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से करना चाहती है तो उसे इन लाभों से पूर्वाधिकार अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि एक अलग खाते में जिसे पूंजी शोधन संचय खाता कहते हैं।

### * पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर जर्नल प्रविष्टियाँ:-

(अ) यदि अंश सम मूल्य पर निर्गमित किये जाते हैं:-

Bank A/c Dr

 To Share Application & Allotment A/c

Share Application & Allotment A/C Dr.
To Share Capital A/C

(ब) यदि अंश प्रीमियम पर निर्गमित किये जाते हैं:-

Bank A/C Dr.
To Share Application & Allotment A/C

- Share Application & Allotment A/C Dr.
  To Share Capital A/C
  To Securities Premium A/C

(स) यदि अंश कटौती पर निर्गमित किए जाते हैं:-

Bank A/C Dr.
To Share Application & Allotment A/C

- Share Application & Allotment A/C Dr.
  Share Discount A/C Dr.
  To Share Capital A/C.

Step (2)

- Securities Premium A/C Dr.
  OR
  Profit & Loss A/C and all Revenue Reserve
  To Premium on Redemption A/C
  [Premium on Redemption Provided]

Step (3) Profit & Loss Appropriation A/C Dr.
General Reserve Dr.
(Profits available for dividend)
To Capital Redemption Reserve A/C

Step (4) Redeemable Preference Share Capital A/C Dr.
Premium on Redemption A/C
To Redeemable Preference Shareholder's A/C

Step (5) Redeemable Preference Shareholder's A/C Dr.
To Bank A/C

## * Redemption of Partly Paid Preference Shares:

आंशिक चुकता पूर्वाधिकार अंशों का शोधन

कंपनी अधिनियम की धारा 80 (1) के अनुसार यह आवश्यक कर दिया गया है कि यदि आंशिक दत्त पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना हो तो पहले न माँगी गयी याचनाओं के लिए याचना की जायेगी और इस प्रकार वे पूर्णतया चुकता हो जायेंगे केवल तभी उनका शोधन किया जाएगा।

## * Bonus Shares: [बोनस अंश]

- जब किसी कंपनी के पास बहुत से Revenue लाभ या संचय एकत्रित हो जाते हैं तो कंपनी अपने अंशधारियों में बोनस अंश वितरित कर देती है बोनस अंश से आशय ऐसे free shares से है जिनके बदले में अंशधारियों से कुछ भी नहीं लिया जाता है।

- अंशधारियों को बोनस दो प्रकार से दिया जा सकता है:-

(1) विद्यमान आंशिक चुकता अंशों को मुफ्त में ही पूर्णतः चुकता अंशों में परिवर्तित करके।

② कंपनी द्वारा नए पूर्णतः चुकता अंशों का मुफ्त में निर्गमन करके।

* बोनस अंश के संबंध में दिशा - निर्देश :→

① बोनस अंशों के निर्गमन के संबंध में निर्गमन से पूर्णतया अथवा अंशतया परिवर्तनीय ऋणपत्रों के अधिकार अथवा मूल्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए।

② यदि स्थायी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करके संचय बनाया गया है तो इस संचय से बोनस अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता है।

③ लाभांश के स्थान पर बोनस अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता है।

④ यदि कंपनी के अंश आंशिक चुकता हैं तो बोनस अंशों का निर्गमन उस समय तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि अंश पूर्णतया चुकता न हो जाएं।

* Sources for Issuing Bonus Shares:
[बोनस अंश निर्गमन के स्रोत]

① शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के समय बनाया गया Capital Redemption Reserve.

② Securities Premium Account

* बोनस अंशों के निर्गमन पर जर्नल प्रविष्टियाँ

Step:- 1
Profit & Loss Appropriation A/c Dr.
General Reserve A/c Dr.
Securities Premium A/c Dr.
Capital Redemption Reserve A/c Dr.
Capital Reserve A/c Dr
To Bonus to Shareholder's A/c
[Bonus sanctioned out of Profits and Reserves]

Step:- 2
Bonus to Shareholder's A/c Dr.
To Share Capital A/c
[Issue of Bonus Shares]

Step:- 3
- Share Final Call A/c Dr.
  To Share Capital A/c
  [Final Call due]
- Bonus to Shareholder's A/c
  To Share Final Call A/c
  [Bonus Utilised for Meeting the Call]

## * Chp - 3 Issue of Debentures [ऋणपत्रों का निर्गमन]

UNIT - III

### ऋणपत्र का अर्थ :->

ऋणपत्र में ऋणपत्र स्टॉक, बांड या कंपनी द्वारा जारी की गयी ऐसी और कई प्रतिभूतियाँ सम्मिलित हैं, चाहे उनसे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न होता है या नहीं।

### ऋणपत्रों की विशेषताएं :->

1. ऋणपत्र एक सर्टीफिकेट के रूप में निर्गमित किया जाता है जो कि कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण है।
2. ऋणपत्र पर कंपनी की COMMON Seal अंकित होती है।
3. यह मूल राशि की एक निश्चित तिथि पर वापसी का अनुबंध होता है।
4. प्राय: ऋणपत्रों का निर्गमन एक निश्चित ब्याज दर पर किया जाता है जिसे कूपन दर कहा जाता है।
5. ऋणपत्र प्राय: कंपनी की संपत्तियों पर सुरक्षित होते हैं यदि कंपनी निर्गमन की शर्तों के अनुसार इनका भुगतान नहीं कर पाती है तो ये न्यायालय में दावा करके कंपनी की सम्पत्तियाँ बिकवाकर अपना ऋण वसूल कर सकते हैं।

## * Types OR kinds of Debentures :-

1. रक्षित अथवा बंधक ऋणपत्र :-> ये वे ऋणपत्र होते हैं जिनके भुगतान के लिए या तो कंपनी की कुछ विशेष सम्पत्तियाँ बंधक होती हैं जिसे स्थायी प्रभार कहते हैं।
2. अरक्षित ऋणपत्र :-> ये वे ऋणपत्र होते हैं जिन पर ऋण की राशि अथवा ब्याज के भुगतान के लिए कंपनी की सम्पत्तियाँ बंधक नही होती हैं।
3. रजिस्टर्ड ऋणपत्र :-> इन ऋणपत्रों के धारकों का नाम कंपनी के एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है जिसे 'ऋणपत्रधारियों का रजिस्टर' कहा जाता है।
4. वाहक ऋणपत्र :-> इन ऋणपत्रों के धारकों का नाम व पता कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होता है और इन ऋणपत्रों का हस्तांतरण भी केवल - मात्र सुपुर्दगी से ही हो जाता है।
5. शोध्य ऋणपत्र :-> इन ऋणपत्रों के मूलधन का भुगतान कंपनी एक निश्चित समय के बाद इकट्ठा या किश्तों में अपने जीवनकाल में ही कर देती है। अधिकांश ऋणपत्र प्राय: इसी प्रकार के होते हैं।

(6) **अशोध्य ऋणपत्र :-** इनके मूलधन का भुगतान कंपनी के जीवनकाल में नहीं होता बल्कि कंपनी के समापन पर ही होता है।

(7) **परिवर्तनशील ऋणपत्र :-** ये वह ऋणपत्र हैं जो एक निश्चित समय के पश्चात ऋणपत्रधारियों अथवा कंपनी की इच्छा पर एक निश्चित दर पर समता अंशों अथवा अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तनीय है।

* **ऋणपत्रों का निर्गमन :-**

(1) आवेदन राशि प्राप्त होने पर :-

Bank A/C Dr
  To 12% Deb. Application A/C

(2) 12% Debenture Application A/C Dr
  To 12% Debenture A/C
[Application Money transferred]

(3) जिन आवेदकों को कोई भी ऋणपत्र आवंटित नहीं किए गए, उनका धन लौटाने के लिए,

12% Debenture Application A/C Dr
  To Bank A/C
[Application money returned on rejected applications]

(4) जिन आवेदकों को आंशिक आवंटन किया गया है उनकी आधिक्य राशि को आवंटन खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है :-

12% Debenture Application A/C Dr
  To 12% Deb. Allotment A/C

(5) **आवंटन राशि देय होने पर :**

12% Deb. Allotment A/C Dr
  To 12% Deb. A/C
[Allotment Money due]

(6) आवंटन राशि प्राप्त होने पर :-

Bank A/C Dr
  To 12% Deb. Allotment A/C

(7) प्रथम याचना राशि देय होने पर

12% Deb. First Call A/C Dr
  To 12% Deb. A/C

(8) **प्रथम याचना राशि प्राप्त होने पर :-**

Bank A/C Dr
  To 12% Debenture First Call A/C
[First Call Money Received]

* रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल बदले ऋणपत्रों का निर्गमन:

I सम्पत्ति खरीदने पर:-

Assets A/C Dr
To Vendor's A/C

II विक्रेता को सम-मूल्य पर ऋणपत्र निर्गमित करने पर:-

Vendor's A/C Dr
To Debentures A/C

III. विक्रेता को प्रीमियम पर ऋणपत्र निर्गमित करने पर:-

Vendor's A/C Dr
To Debentures A/C
To Securities Premium A/C

IV. विक्रेता को कटौती पर, ऋणपत्र निर्गमित करने पर:-

Vendor's A/C Dr
Discount on Debentures A/C
To Debentures A/C

* शोधन की शर्तों के अंतर्गत ऋणपत्रों के निर्गमन का लेखांकन।

① जब ऋणपत्रों का निर्गमन भी सम-मूल्य पर और शोधन भी सम-मूल्य पर किया जाए।

Bank A/C Dr
To Deb. Application & Allotment A/C

• Debenture Application & Allotment A/C Dr
To Debentures A/C

[For Redemption]

Debentures A/C Dr
To Debentureholders A/C

• Debentureholders A/C Dr
To Bank A/C

② जब ऋणपत्रों का निर्गमन कटौती पर तथा शोधन सम-मूल्य पर किया जाए।

• Bank A/C Dr
To Debenture Application & Allotment A/C

• Debenture Application & Allotment A/C Dr
Discount on Issue of Debenture A/C Dr
To Debentures A/C

• Debenture A/C Dr
To Debentureholder A/C

• Debentureholders A/C Dr
To Bank A/C

③ जब ऋणपत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर तथा शोधन सम-मूल्य पर किया जाए। [For Redemption]

• Bank A/C Dr
To Deb. Application & Allotment A/C

• Debenture Application & Allotment A/C Dr
To Deb. A/C
To Securities Premium A/C

• Debenture A/C Dr
To Debentureholders A/C

• Debentureholder A/C Dr
To Bank A/C.

## * ऋणपत्रों के निर्गमन पर दी गयी कटौती

ऋणपत्रों के निर्गमन पर दी गयी कटौती अथवा निर्गमन पर हानि एक पूँजीगत हानि है इसे ऋणपत्रों के शोधन से पूर्व अवश्य ही अपलिखित कर दिया जाना चाहिए। जब तक कि कटौती अथवा निर्गमन की हानि को अपलिखित न कर दिया जाए तो इसे स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में 'Miscellaneous Expenditure' शीर्षक के अंतर्गत दिखाना अनिवार्य है

Profit & Loss A/C Dr
To Discount on issue of Debentures A/C

**विधियाँ**

① प्रतिवर्ष बराबर राशि को अपलिखित करना

- कटौती की राशि को उस अवधि में समान किश्तों में प्रतिवर्ष लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है

② प्रतिवर्ष अनुपातिक राशि को अपलिखित करना

- ऐसी दशा में कटौती की राशि को उस अनुपात में लाभ-हानि खाते में डाला जाता है जिस अनुपात में ऋणपत्रों की राशि का लाभ उठाया गया है

Chp → 4

# Redemption of Debentures

## ऋणपत्रों का शोधन

**Meaning of Redemption of Debentures:**

ऋणपत्रों के शोधन का अर्थ है ऋणपत्रों की राशि का ऋणपत्रधारियों को भुगतान करना। दूसरे शब्दों में, शोधन से आशय ऋणपत्रों पर देय राशि का भुगतान करके ऋणपत्रों के प्रति दायित्व को समाप्त करना है

## * ऋणपत्रों के शोधन के लिए वित्तीय साधन

एक कंपनी अपने ऋणपत्रों के शोधन के लिए निम्नलिखित साधनों से धन की व्यवस्था कर सकती है:-

① नए अंशों एवं ऋणपत्रों के निर्गमन से प्राप्त धन में से शोधन

② ऋणपत्रों का पूँजी में से शोधन

③ ऋणपत्रों का लाभों में से शोधन

* नए अंशों एवं ऋणपत्रों के निर्गमन से प्राप्त धन में से शोधन :- जब कंपनी को ऋणपत्रों के शोधन के लिए धन की आवश्यकता होती है तो कंपनी उस समय नए समता अंशों एवं पूर्वाधिकार अंशों अथवा नए ऋणपत्रों का निर्गमन कर लेती है और इनके निर्गमन से प्राप्त धन में से ऋणपत्रों का भुगतान कर देती है

(2) ऋणपत्रों का पूंजी में से शोधन :→

जब ऋणपत्रों के शोधन के लिए लाभों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इसे पूंजी में से शोधन कहा जाता है। ऐसी दशा में लाभों की किसी भी राशि को ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित नहीं किया जाता है।

(3) ऋणपत्रों का लाभों में से शोधन :→

लाभों में से शोधन का अर्थ यह है कि शोधित ऋणपत्रों के बराबर राशि को लाभ-हानि समायोजन खाते से एक नए खोले गए ऋणपत्र शोधन संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है।

* ऋणपत्रों के शोधन के लिए SEBI द्वारा जारी दिशा-निर्देश

(1) प्रत्येक कंपनी उन ऋणपत्रों के लिए DRR का निर्माण करेगी जिन का शोधन उनके निर्गमन के 18 माह से अधिक समय बाद करना है।

(2) DRR का निर्माण केवल गैर-परिवर्तनीय एवं अंशत: परिवर्तनीय ऋणपत्रों के केवल गैर-परिवर्तनीय हिस्से के लिए ही करना अनिवार्य है।

(3) शोधन प्रारम्भ करने से पूर्व ऋणपत्रों की कुल राशि के कम से कम 50% के बराबर DRR बनाया जाएगा।

(4) DRR से रुपया केवल तभी निकाला जा सकता है जब ऋणपत्रों की कुल राशि का 10% भाग शोधन कर दिया गया हो।

* ऋणपत्र शोधन संचय को निर्माण करने के अपवाद :-

(1) जिन ऋणपत्रों की परिपक्वता अवधि 18 माह या इससे कम है उनके लिए ऋणपत्र शोधन संचय के निर्माण करने की जरूरत नहीं है।

(2) Infrastructure Companies अर्थात जो कंपनियाँ पूर्ण रूप से मूलभूत सुविधाओं के विकास, रख-रखाव एवं संचालन में कार्यरत हैं उनके लिए ऋणपत्र शोधन संचय के निर्माण से छूट दी गयी है।

(3)

* Methods of Redemption of Debentures:

(1) एक निश्चित अवधि के बाद समस्त राशि इकट्ठी भुगतान करके :→ इस विधि में एक निश्चित अवधि के बाद समस्त ऋणपत्रों का इकट्ठा भुगतान कर दिया जाता है। प्राय: निर्गमन की शर्तों में ही यह वर्णित रहता है कि ऋणपत्रों का भुगतान किस तिथि पर किया जाएगा और भुगतान सम-मूल्य पर होगा या प्रीमियम पर होगा।

(2) ऋणपत्रों में किश्तों में लौटती विधि द्वारा शोधन :→

कई बार कंपनी समस्त ऋणपत्रों का भुगतान एक साथ न करके प्रत्येक वर्ष किश्तों में भुगतान करती है।

(3) अंशों में परिवर्तन द्वारा शोधन :→

कई बार ऋणपत्र निर्गमन के समय ही कंपनी अपने ऋणपत्रधारियों को यह सुविधा दे देती है कि

यदि वे चाहें तो एक निश्चित अवधि के बाद अपने ऋणपत्रों को कंपनी के अंशों में बदल सकते हैं।

## * लेखांकन व्यवहार :→

ऋणपत्रों को अंशों में परिवर्तन की निम्नलिखित प्रविष्टियाँ बनती हैं:-

- Debentures A/C Dr
  To Debentureholders A/C
- Debentureholder A/C Dr
  To Share Capital A/C

## * CUM Interest and Ex-Interest Purchase of Own Debentures:-

ऋणपत्रों का क्रय वर्ष में किसी भी समय किया जा सकता है। यदि वे ऋणपत्र इन पर ब्याज भुगतान की तिथि पर क्रय किए जाएँ तो ब्याज ऋणपत्रधारियों को ही दे दिया जाएगा। परंतु यदि वे ऋणपत्र ब्याज भुगतान की तिथि से पूर्व क्रय किया जाएँ तो यह देखना होगा कि इनका क्रय मूल्य ब्याज सहित है या ब्याज रहित।

UNIT → 3

# Valuation of Goodwill
# ख्याति का मूल्यांकन

## Meaning of Goodwill:-

ख्याति से आशय किसी फर्म द्वारा अर्जित की गयी प्रसिद्धि से है। यदि कोई फर्म अपने ग्राहकों को अच्छी सेवाएँ प्रदान करती है तो ऐसे ग्राहक जो संतुष्ट होंगे वह बार-2 आयेंगे और परिणामस्वरूप वह फर्म भविष्य में अधिक लाभ अर्जित करने में सफल होगी।

## * Characteristics of Goodwill:→

(1) यह एक अमूर्त संपत्ति है:→ ख्याति अदृश्य संपत्तियों जैसे एकस्व, व्यापार चिन्ह, प्रकाशनाधिकार, आदि की श्रेणी में आती है। यह नष्ट भ्रष्ट नहीं होती है। अतः इस पर स्थायी संपत्तियों की तरह ह्रास नहीं लगाया जाता है।

(2) इसके मूल्य में निरन्तर उतार-चढ़ाव आते रहते हैं:→ यद्यपि ख्याति पर ह्रास नहीं लगता है परंतु इसके मूल्य में भी निरंतर उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। जिन व्यवसायों में अधि-लाभ होते हैं।

(3) ख्याति तभी समय मूल्यवान होती है जबकि संपूर्ण व्यवसाय विक्रय किया जाता है:- ख्याति को अलग से नहीं बेचा जा सकता है अर्थात इसे संपूर्ण व्यवसाय के विक्रय के साथ ही बेचा जा सकता है।

(4) ख्याति का सही-2 मूल्य ज्ञात करना कठिन है:

इसका कारण यह है कि व्यवसाय की आन्तरिक एवं बाह्य परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ-2 इसके मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है।

(5) ख्याति का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं किया जा सकता:-

इसका मूल्यांकन, मूल्यांकन करने वाले के निर्णय और विवेक पर निर्भर करता है और मूल्यांकन की विभिन्न विधियों के होने पर मूल्यांकन और इसके मूल्यांकन के अनुसार विभिन्न-2 होता है।

* Origin of Goodwill OR Factors affecting the Value of Goodwill:->

(1) व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान:-> यदि व्यवसाय सुविधाजनक या किसी प्रमुख व्यापारिक केंद्र पर स्थित होगा तो ख्याति अधिक होगी।

(2) प्रबंध की कुशलता:-> यदि व्यवसाय का संचालन अनुभवी, योग्य तथा दूरदर्शी प्रबंधकों के हाथ में है तो व्यवसाय के लाभ निरन्तर बढ़ते जायेंगे जिससे ख्याति के मूल्य में भी वृद्धि होगी।

(3) व्यवसाय की अवधि:-> नये व्यवसाय की अपेक्षा पुराने व्यवसाय की ख्याति का मूल्य अधिक होगा, क्योंकि पुराने व्यवसाय के ग्राहकों की संख्या नए की तुलना में अधिक होती है।

(4) लाइसेंस का होना:-> यदि किसी फर्म के पास कोई आयात लाइसेंस है तो ऐसी फर्म की ख्याति अधिक होगी क्योंकि ऐसे लाइसेंस के बिना, नयी फर्मों के लिए ऐसे व्यवसाय में प्रवेश करना कठिन होगा।

(5) लाभों की प्रवृत्ति:- यदि किसी व्यवसाय में पिछले वर्षों में लाभ लगातार बढ़ रहे हैं तो इसकी ख्याति अधिक होगी परंतु यदि लाभ कम रहे हैं तो ख्याति का मूल्य कम होगा।

(6) भविष्य में प्रतिस्पर्द्धा:-> यदि किसी व्यवसाय में भविष्य में प्रतिस्पर्द्धा की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति कम होगी।

(7) जोखिम की मात्रा:-> यदि व्यवसाय में जोखिम अधिक है, तो ख्याति का मूल्य कम होगा क्योंकि लाभ में अनिश्चितता बनी रहेगी।

* Methods of Valuation of Goodwill:->

(1) Average Profit Method
(2) Super Profit Method
(3) Capitalisation Method
(4) Purchase Consideration Method
(5) Annuity Method

① **औसत लाभ विधि:-** यह ख्याति के मूल्यांकन की एक सरल एवं व्यावहारिक विधि है। इस विधि में ख्याति का मूल्यांकन कुछ गत वर्षों के लाभों के औसत को एक निश्चित संख्या से गुणा करके किया जाता है।

Value of Goodwill :- Average Profit X No. of Years Purchased

② **अधि-लाभ विधि:->** इस विधि में यह देखा जाता है कि इसी प्रकार के अन्य व्यवसायों की तुलना में हमारी फर्म में कितने लाभ हो रहे हैं।

(i) Normal Profit = $\frac{\text{Capital invested X NRR}}{100}$

(ii) Super Profit = Actual OR Average Profit - Normal Profit

(iii) Goodwill = Super Profit X No. of Years Purchased

③ **पूँजीकरण विधि:->**

① **औसत लाभ पूँजीकरण विधि:->**

- सबसे पहले व्यवसाय के लाभ ज्ञात किये जाते हैं।
- इसके बाद आय की सामान्य दर के आधार पर इन लाभों का Capitalised किया जाता है।

6. एक निश्चित समय के पश्चात अयाचित लाभांश को Dividend Payable A/C से Unpaid or Unclaimed Dividend A/C में हस्तांतरित करने पर।

Dividend Payable A/C Dr.
To Unpaid Dividend A/C

7. 3 वर्ष पश्चात Unpaid Dividend A/C के शेष को केंद्रीय सरकार के जनरल रेवेन्यू खाते में हस्तांतरित करने पर।

Unpaid Dividend A/C Dr.
To Central Govt. Revenue A/C

8. केंद्रीय सरकार को वास्तविक रूप में धनराशि देने पर।

Central Govt. Revenue A/C Dr.
To Dividend Bank A/C

## Entries Relating to Dividends:-

① संचालक मंडल द्वारा लाभांश प्रस्तावित करने पर।

→ • Profit & Loss Appropriation A/C Dr
  To Proposed Dividend A/C
  To Corporate Dividend Tax A/C

② • Dividend Equalisation Fund A/C Dr
  or
  General Reserve A/C Dr
  To Profit & Loss Appropriation A/C

② → संचालकों द्वारा प्रस्तावित लाभांश को अंशधारियों द्वारा वार्षिक साधारण सभा में स्वीकृत अथवा घोषित करने पर।
  Proposed Dividend A/C Dr.
  To Dividend Payable A/C

③ → लाभांश भुगतान के लिए एक अलग बैंक खाता खोलने पर:-
  Dividend Bank A/C Dr
  To Bank A/C

④ → लाभांश का भुगतान करने पर।
  Dividend Payable A/C Dr
  To Dividend Bank A/C

⑤ → केंद्रीय सरकार को Corporate Dividend Tax का भुगतान करने पर:-
  Corporate Dividend Tax A/C Dr.
  To Bank A/C

## • In the books of Underwriters:-

① Share A/C Dr
  Debentures A/C Dr
  To Company.
  [The balance of Shares and Deb. taken]

② Company A/C Dr
  To Underwriting Commission A/C
  [Underwriting commission due from Co.]

③ Shares A/C Dr
  Debentures A/C Dr
  To Company A/C
  [Amt of Commission Recived]

④ Company A/C Dr
  To Bank A/C
  [Payment Made to Company]

## * अभिगोपन खाता OR अंश खाता :→

अभिगोपन खाता अभिगोपकों के द्वारा बनाया जाता है। इसे यह जानने के लिए बनाया जाता है कि अभिगोपन पर लाभ हुआ या हानि। अभिगोपन खाता एक नाममात्र का खाता है जिसे लाभ - हानि खाते की तरह बनाया जाता है।

## अभिगोपन कमीशन

① अभिगोपन कमीशन तभी दिया जा सकता है यदि अन्तर्नियमों में कमीशन देने का प्रावधान किया गया हो।

② कमीशन की दर निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए:-

(i) अंशों की दशा में, अंशों के निर्गमित मूल्य के 5% अथवा अन्तर्नियमों द्वारा अधिकृत दर, जो भी कम हो।

(ii) ऋणपत्रों की दशा में, ऋणपत्रों के निर्गमित मूल्य के 2½% अथवा अन्तर्नियमों द्वारा अधिकृत दर से जो भी कम हो।

* Entries Relating to Underwriting:
[In the books of Company]

① Underwriters A/c Dr
To Share Capital A/c
To Debentures A/c
[The balance of Shares and Debentures allotted to Underwriters]

② Underwriting Commission A/c Dr
To Underwriters A/c

③ Underwriters A/c Dr
To Share Capital A/c
To Debentures A/c
[Payment of Commission to Underwriters]

④ Bank A/c Dr
To Underwriters A/c
[Amount received from Underwriters]

## UNIT - IV Profit or Loss Prior to Incorporation and Subsequent to Incorporation:

कई बार कोई नयी कंपनी किसी चालू व्यवसाय को एक निश्चित तिथि पर क्रय कर लेती है जबकि नयी कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र किसी बाद की तिथि पर प्राप्त हो पाता है। क्रय की तिथि से समामेलन की तिथि तक अर्जित किए गए लाभों की अधिकारी नयी कंपनी ही मानी जाती है।

* समामेलन से पूर्व के लाभ या हानि को ज्ञात करना।

① सकल लाभ :- सर्वप्रथम पूरे वर्ष का व्यापारिक खाता बनता है इससे पूरे वर्ष का सकल लाभ ज्ञात हो जाता है

② समय का अनुपात :- समामेलन की तिथि से पूर्व के समय तथा समामेलन की तिथि से बाद के समय का अनुपात ज्ञात किया जाता है इसे ही समय अनुपात कहते हैं

③ विक्रय का अनुपात :- समामेलन की तिथि से पूर्व की बिक्री और समामेलन की तिथि से बाद की बिक्री का अनुपात ज्ञात किया जाता है

इसके पश्चात समामेलन के पूर्व की अवधि तथा समामेलन के पश्चात की अवधि के लाभ अलग-2 ज्ञात करने के लिए एक लाभ - हानि खाता बनाया जाता है

## उपार्जन क्षमता विधि

इस विधि में कंपनी की लाभोपार्जन की दर का संपूर्ण उद्योग में आय की सामान्य दर से तुलना करके निम्न सूत्र के द्वारा अंशों का मूल्यांकन किया जाता है।

$$\text{Value of Share} = \frac{\text{Rate of Earnings}}{\text{Normal Rate of Returns}} \times \text{paid up value of share}$$

## औसत विधि OR उचित मूल्य:-

अतः यह उचित समझा जाता है कि किन्हीं दो पद्धतियों से अंशों का मूल्य ज्ञात करके उनका औसत का लिया जाए और इस प्रकार औसत करके जो मूल्य ज्ञात होगा उसे अंशों का उचित मूल्य मानना अधिक तर्कसंगत होगा।

## * Methods of Valuation of Shares:-

1. Net Asset Method
2. Dividend Yield Method
3. Earning Capacity Method
4. Average Method

① **शुद्ध संपत्ति विधि :-** इस पद्धति को समापन मूल्य विधि, आंतरिक मूल्य विधि और संपत्ति मूल्यांकन विधि भी कहते हैं क्योंकि इस पद्धति में संपत्तियों के शुद्ध आंतरिक मूल्य के आधार पर अंशों का मूल्यांकन करके यह ज्ञात किया जाता है कि यदि कंपनी का समापन हो जाए तो प्रत्येक अंशधारी को क्या मिलेगा।

② **लाभांश आय विधि :-** लाभांश आय विधि इस मान्यता पर आधारित है कि इस विधि के अनुसार क्रेता के द्वारा अंशों को क्रय करने के लिए चुकाया जाने वाला मूल्य भविष्य में अंशों पर लाभांश की आशा पर निर्भर करता है।

③ **Yield Method:**

$$\text{Value of Share} = \frac{\text{Expected Rate of Dividend}}{\text{Normal Rate of Divi}} \times \text{paid up value per share}$$

* अंशों के मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले घटक

(1) कंपनी की वर्तमान आय :-

(1) भूतकाल में अर्जित किए गए औसत लाभ

(2) भूतकाल में अर्जित किया गया न्यूनतम और उच्चतम लाभ।

(3) विनियोजित पूँजी पर अर्जित औसत लाभ दर

(4) कर तथा पुर्वाधिकार लाभांश चुकाने के बाद शेष लाभ की राशि।

(2) ऐसी ही अन्य कंपनियों में लाभ दर :- अंशों के मूल्य पर इस बात का काफी प्रभाव पड़ता है कि ऐसे ही उद्योग में प्रचलित सामान्य दर की तुलना में इस कंपनी की लाभ की दर कितनी होगी।

(3) कंपनी की लाभांश निति :-> छोटे विनियोजकों के लिए, संचालकों द्वारा घोषित लाभांश की दर का अंशों के मूल्यांकन में काफी महत्व है जबकि बड़े विनियोजकों के लिए जो किसी कंपनी के 20% से 25% अंश रखते है

(4) वित्तीय अनुपात :- विनियोजक उस कंपनी को पसंद करते हैं जिसके वित्तीय अनुपात सुदृढ़ है।

(5) कुशल प्रबंध :-> ऐसी कंपनियों के अंशों का मूल्य अधिक होता है जो कुशल एवं प्रगतिशील विख्यात वाले प्रबंधकों द्वारा प्रबंध की जाती है।

(ब) अधि - लाभ पूँजीकरण विधि :->

इस विधि में यह ज्ञात किया जाता है कि अधिलाभ कमाने के लिए कितनी पूँजी की आवश्यकता पड़ेगी।

$$\text{Goodwill} = \text{Super Profit} \times \frac{100}{\text{Normal Rate of Profits}}$$

(4) क्रय प्रतिफल विधि :-> जब किसी व्यवसाय का विक्रय किया जाता है तो उसके बदले में जो मूल्य प्राप्त होता है उसे प्रतिफल कहा जाता है यह क्रय प्रतिफल व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों से जितना अधिक होता है वही ख्याति का मूल्य होता है।

(5) वार्षिकी विधि :-> क्रेता ख्याति का भुगतान इसलिए करता है क्योंकि उसे उस व्यवसाय में भविष्य से अधिलाभ प्राप्त होने की संभावना होती है अर्थात भविष्य में प्रतिवर्ष थोड़े-2 किश्तों में होने वाले अधिलाभ के बदले में क्रेता वर्तमान में एक इकट्ठी राशि ख्याति के रूप में चुका देता है यह राशि कितनी हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि भविष्य में ये अधिलाभ कितने वर्ष तक होते रहने की संभावना है।

## Valuation of Shares:-

जिन कंपनियों के अंश स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते है उनका मूल्य स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रकाशित दैनिक मूल्य सूची से ज्ञात किया जा सकता है। यद्यपि कुछ दशाओं में तो स्टॉक एक्सचेंज के मूल्य अंशों का उचित मूल्य होते हैं परंतु बहुत -सी दशाओं में ये मूल्य अंशों का सही-2 मूल्य नहीं होते है

* अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता :-

1. जब अंशों को उपहार मे दिया जाता है तो उपहार कर के निर्धारण के लिए ऐसे अंशों का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है।
2. धन कर के निर्धारण के लिए।
3. जब ऋण लेने के लिए अंशों को गिरवी रखना हो।
4. कंपनियों के एकीकरण के समय असंतुष्ट अंशधारियों को देय राशि ज्ञात करने के लिए।
5. एक श्रेणी के अंशों को दूसरी श्रेणी के अंशों में परिवर्तन करने के लिए। जैसे कि पूर्वाधिकार अंशों का समता अंशों में परिवर्तन।
6. प्रन्यास अथवा विनियोग कंपनियों के पास जो अंश है उनका मूल्यांकन करने के लिए।
7. कंपनियों के एकीकरण के समय असंतुष्ट अंशधारियों को देय राशि ज्ञात करने के लिए।

## लाभांश

विभाजन योग्य लाभ का जो भाग अंशधारियों मे बाँटा जाना है उसे लाभांश कहते है। कंपनी के अन्तर्नियमों में लाभांश संबंधी नियम दिए होते है। संचालकों को लाभांश की दर तय करने तथा अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में उसका प्रस्ताव रखने का अधिकार होता है। प्रस्ताव के पास होने के बाद ही यह समझा जाता है कि लाभांश घोषित हो गए।

1. लाभांश केवल विभाजन योग्य लाभों में से ही बाँटा जा सकता है। उस राशि मे से बाँटा जा सकता है जो केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार ने अपने द्वारा गारंटी किए गए लाभांश के भुगतान के लिए चुकता कर दी है।
2. लाभांश का भुगतान नकदी मे ही किया जा सकता है परंतु निम्नलिखित दशाओं में ऐसा नहीं होता:-
   1. बोनस अंशों के निर्गमन पर
   2. लाभांश की राशि का कंपनी के सदस्यों के अदत्त अंशों पर न पुकारी गयी याचना के लिए प्रयोग करना।
3. लाभांश के संबंध में कंपनी के पार्षद सीमानियम और अंतर्नियमों मे दिए गए नियमों का पालन करना आवश्यक है।
4. किसी भी दशा में लाभांश पूँजी में से नहीं बाँटा जा सकता है।
5. लाभांश की दर का निर्धारण संचालकों द्वारा किया जाता है।
6. लाभांश घोषित होने के बाद 15 दिन के अंदर घोषित लाभांश की राशि को बैंक में एक अलग से खोले गए Dividend Bank A/c में हस्तांतरित करना आवश्यक है।

## * Final Accounts of Companies:-
## कंपनियों के अंतिम खाते

कंपनी के अंतिम खाते में दो मुख्य वित्तीय विवरणों को सम्मिलित किया जाता है:-

1. लाभ - हानि खाता
2. स्थिति विवरण या चिट्ठा

**कंपनी का लाभ - हानि खाता :->** एक कंपनी की दशा में यह आवश्यक नहीं है कि लाभ - हानि खाते को 3 भागों में विभाजित किया जाए (अर्थात व्यापारिक खाता, लाभ-हानि खाता तथा लाभ - हानि समायोजन खाता) केवल एक खाता अर्थात लाभ - हानि खाता ही बनाया जा सकता है जिसमे व्यापारिक खाते तथा लाभ - हानि समायोजन खाते से संबंधित सभी मदों को शामिल किया जा सकता है

**लाभ - हानि समायोजन खाता :->**

विभाज्य लाभ की गणना के बाद इसके वितरण का प्रश्न उत्पन्न होता है प्राय: कंपनी के अंतर्नियमों में संचालकों को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वह लाभों के संचय में हस्तांतरण तथा लाभांश की मात्रा का निर्णय कर सकते हैं

1. पिछले वर्षों के लाभों का शेष
2. चालू वर्ष के लाभ - हानि खाते से लाया गया शुद्ध लाभ
3. इस खाते में विभिन्न संचयों से हस्तांतरित की गयी राशि।
4. पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन

## * अभिगोपन [Underwriting]

**Meaning of Underwriting:-**

अंश निर्गमन की दशा में, यदि जनता के लिए निर्गमन खुलने के 120 दिन के अंदर कुल निर्गमन की 90% राशि न्यूनतम अभिदान के रूप में प्राप्त नहीं होती है तो कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती और प्राप्त हुयी सम्पूर्ण आवेदन राशि आवेदकों को लौटानी होगी। तो अत: अधिकांश कंपनियाँ अभिगोपन अनुबंध कर लेती हैं

### * अभिगोपन के लाभ तथा उद्देश्य:-

1. **पूँजी एकत्र होने की निश्चितता:-**
अभिगोपन के फलस्वरूप अंश निर्गमन की संपूर्ण राशि के लिए पूँजी प्राप्त करने की निश्चितता हो जाती है

2. **न्यूनतम अभिदान की शर्त की पूर्ति :->**
निर्गमन राशी के कम से कम 90% की न्यूनतम आवेदन की शर्त अपने आप ही पूरी हो जाती है

3. **जनता का अधिक विश्वास :->** अभिगोपन से कंपनी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ जाता है क्योंकि जनता यह समझती है कि यदि कंपनी सुदृढ़ न होती तो अभिगोपन इसके निर्गमन का अभिगोपन ही न करते।

इसे बनाने के लिए विभिन्न मदों को 'समामेलन से पूर्व' व 'समामेलन के पश्चात' की अवधि में निम्नलिखित आधारों पर विभाजन किया जा सकता है:-

① Gross Profit को विक्रय के अनुपात में बांटा जाता है।

② जो व्यय बिक्री के अनुपात में परिवर्तित होते हैं उन्हें विक्रय के अनुपात में बाँट दिया जाता है। जैसे विक्रय व्यय, विज्ञापन, कमीशन, कटौती, अप्राप्य ऋण, गाड़ी, भाड़ा आदि।

③ जो व्यय समय के अनुपात उत्पन्न होते हैं अर्थात जो व्यय हमेशा एक समान रहते है उन्हें समय के अनुपात में विभाजित किया जाता है।

④ समामेलन के पश्चात के व्यय :- कुछ व्यय ऐसे भी होते हैं जो केवल समामेलन होने के पश्चात ही उत्पन्न होते है तथा जो समामेलन के पूर्व नहीं होते जैसे:- संचालकों की फीस, प्रबंध संचालक की फीस, प्रारंभिक व्यय, ऋणपत्रों पर ब्याज इत्यादि।

- समामेलन से पूर्व का लाभ पूंजीगत लाभ होता है जिसे पूंजीगत संचय में हस्तांतरित कर दिया जाता है जबकि समामेलन के पश्चात का लाभ आयगत लाभ होता है जो लाभांश आदि के वितरण के लिए उपलब्ध होता है।